

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

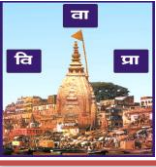
वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 17.06.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण, अमर उजाला, आज, हिन्दुस्तान, न्यायाधीश राष्ट्रीय सहारा, "समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण—दि० 17.06.2025

वीडीए ने सील किया अवैध निर्माण अवैध प्लार्टिंग की तोड़ी बाउंड्रीवाल

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर सोमवार को अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन तीन के जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति ने बताया कि चौक वार्ड के चौक में रूबी रक्षा 700 वर्ग फीट में तीन मंजिल अवैध निर्माण कर रही थीं। उक्त भवन को सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। उधर, जोन पांच के जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश ने बताया कि मुगलसराय वार्ड के कुंडा नदिया के पास वीडोए से बिना ले-आउट पास कराए एक बीघे में जमीन की अवैध प्लार्टिंग हो रही थी। बुलडोजर से सभी बाउंड्रीवाल को तोड़ दिया गया।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

अमर उजाला—दि० 17.06.2025

अवैध निर्माण सील

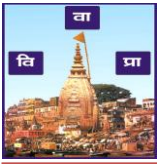
वाराणसी। वीडो की ओर से सोमवार को अवैध निर्माण सील किया गया। जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति ने बताया कि चौक वार्ड की रूबी रक्षा की ओर से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कराया जा रहा था। इसे सील कर दिया गया। ब्यूरो

आज—दि० 17.06.2025

नवनिर्मित मकान ध्वस्त, प्लाटिंगपर चली जेसीबी

विप्रा उपाध्यक्षके निर्देशपर वार्ड चौकमें बिना मानचित्रके भवनका निर्माण कर रहे थे। मौकेपर पहुंचे जोनल अधिकारी सौरभदेव प्रजापति और अवर अभियन्ता रवीन्द्र कुमारने भवनस्वामीसे मानचित्र मांगा जिसे उसने दिखानेमें आना-कानी की। जोनल अधिकारीके निर्देशपर अवर अभियन्ताने मकानमें कार्य कर रहे मजदूरोंको भगा दिया और सील करनेके बाद चौक थानेकी अभिरक्षामें भवनको सौंप दिया। वार्ड मुगलसराय मौजा कुंड नदियामें एक बीघे जमीनपर प्लाटिंग की जा रही थी जबकि संबंधित विषयमें विप्राने २८ जनवरीको भवन स्वामीको नोटिस भेजा था जिसमें लेआउट पास करानेका निर्देश दिया गया था। इसी क्रममें १५ फरवरीको भी पुनः नोटिस भेजी गयी थी। लेकिन जमीन वाले नोटिसको अनदेखा करते हुए प्लाटिंगका कार्य जारी रखा। अधिकारियोंके निर्देशपर यहां भी जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश, अवर अभियन्ता अशोक यादव, क्षेत्रीय थानेकी पुलिस और प्रवर्तन दल पहुंचकर जेसीबीसे कराये गये मकानको ध्वस्त कर दिया।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

हिन्दुस्तान—दि० 17.06.2025

वीडीए ने चौक क्षेत्र में अवैध निर्माण सील किया

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने चौक क्षेत्र में सोमवार को बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण को सील किया। 700 वर्गफीट में तीन मंजिल भवन का निर्माण कराया जा रहा था। उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27, 28(1) और 28(2) के तहत कार्यवाही की गई। इस मौके पर जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, जेई रवींद्र प्रकाश आदि रहे।

हिन्दुस्तान—दि० 17.06.2025

एक बीघे में की जा रही प्लॉटिंग ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने सोमवार को मुगलसराय वार्ड के कुंडा नदिया क्षेत्र में एक बीघे में विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई। वीडीए ने बिल्डर को 28 जनवरी को नोटिस दिया था और शमन मानचित्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। लेकिन मानचित्र स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य पर यह कार्यवाई की गई। इस मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश, जेई अशोक यादव रहे।

न्यायाधीश—दि० 17.06.2025

अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित

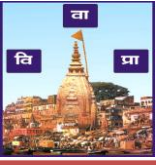


वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-3 वार्ड- चौक के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-चौक के अंतर्गत, रूबी

रक्षा द्वारा, थाना- चौक, जिला- वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये 700 स्क्वायरफिट में (ऋ3) निर्मित भूतल पर भवन का निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास

अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा 27, 28(1) व 28(2) के अन्तर्गत सील की कार्यवाही की गयी तथा सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश प्रवर्तन टीम उपस्थित रही। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

न्यायाधीश-दि० 17.06.2025

अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई



वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-5, वार्ड-मुगलसराय के अंतर्गत में अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।

वार्ड-मुगलसराय के अंतर्गत पारित किया गया। पारित मौजा कुंडा नदिया थाना ध्वस्तीकरण के अनुपालन में मुगलसराय वार्ड-मुगलसराय में आज दिनांक 16.06.2025 को बिना लेआउट स्वीकृत कराए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही लगभग 15168 वर्ग मीटर (01 सम्पादित की गयी। मौके पर बीघे) में अवैध रूप से प्लॉटिंग जोनल अधिकारी श्री सिंह गौरव का कार्य किये जाने पर 30प्र0 जय प्रकाश एवं अवर अभियंता नगर नियोजन एवं विकास अशोक यादव तथा प्रवर्तन दल अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत सहित समस्त सुपरवाइजर व धारा-27 एवं 28 को नोटिस पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष दिनांक 28.01.2025 को नोटिस द्वारा आम जन मानस से अपील की कार्यवाही सम्पादित की गयी की गयी है कि वाराणसी विकास थी परन्तु प्लॉटिंगकर्ता द्वारा ले- प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत आउट शमन मानचित्र दाखिल कराये बिना किसी भी प्रकार नहीं किया गया। तदक्रम में का निर्माण कार्य न करें अन्यथा प्लॉटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी। आदेश दिनांक 15.02.2025 को

राष्ट्रीय सहारा-दि० 17.06.2025

अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त निर्माण सील

वाराणसी। वीडिए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर जोन-पांच, वार्ड-मुगलसराय के अंतर्गत अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। मुगलसराय वार्ड के अंतर्गत मौजा कुंडा नदिया थाना मुगलसराय वार्ड-मुगलसराय में बिना लेआउट स्वीकृत कराए अवैध रूप से प्लॉटिंग का कार्य किये जाने पर नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, लेकिन प्लॉटिंगकर्ता द्वारा ले-आउट शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया गया जिसके क्रम में प्लॉटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण आदेश को पारित किया गया। पारित ध्वस्तीकरण के अनुपालन में कार्यवाही की गयी। वहीं दूसरी तरफ जोन-3 वार्ड- चौक के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गयी। चौक वार्ड के अंतर्गत, रूबी रक्षा द्वारा, थाना- चौक में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्मित भूतल पर भवन का निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर सील की कार्यवाही की गयी।



: vcvdavns | Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in